



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 मई, 2026 ई0

ज्येष्ठ 01, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन तथा धर्मस्व अनुभाग-1

संख्या- 492 / VI(1) / 2026-166 (पर्य0)2002 टी0सी0

देहरादून, 22 मई, 2026

अधिसूचना

प0 आ0-19

श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मन्दिर अधिनियम 1939 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-16 / 1939 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-337 दिनांक 20.06. 2025 द्वारा श्री श्रीनिवास पोस्ती, जनपद रुद्रप्रयाग की नियुक्ति, आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए की गई थी। श्री श्रीनिवास पोस्ती जी का दिनांक-15 फरवरी, 2026 को निधन होने के उपरान्त हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए अधिनियम की धारा-12 (2) के अनुसार श्री राकेश भण्डारी, जोशीमठ (चमोली) को 20 जून, 2028 तक की अवधि के लिए श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मन्दिर समिति में सदस्य के रूप में नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

धीराज सिंह गब्याल,
सचिव।